बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या– पी0पी0एम0–23/2016 3859 /कृ0, पटना, दिनांक–03-10-,2017

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+) से परामर्शित।**

विषय : **केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन के अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का बिहार राज्य में 2017–18 में केन्द्रांश मद–1177.90 लाख रुपये, राज्यांश 785.27 लाख रुपये, कुल 1963.17 लाख (उन्नीस करोड़ तीरसठ लाख सतरह हजार) रुपये की लागत पर योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति।**

आदेश :– स्वीकृत।

केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन के अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का बिहार राज्य में 2017–18 में केन्द्रांश मद–1177.90 लाख रुपये, राज्यांश 785.27 लाख रुपये, कुल 1963.17 लाख (उन्नीस करोड़ तीरसठ लाख सतरह हजार) रुपये की लागत पर योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. भारत सरकार के पत्रांक – 14–3/2014 Fert use दिनांक 31 मई 2017 अनुसार 2017–18 में बिहार राज्य के लिए कुल 654389 नमूना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उक्त के आलोक में अनुसूची–1 के अनुरूप भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

3. भारत सरकार के पत्रांक–14–1/2015 Fert Use दिनांक 27 जुलाई, 2017 द्वारा केन्द्रांश मद में 1177.90 लाख रूपये का उदव्यय संसूचित किया गया है। वर्ष 2017–18 में भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश मद में कोई राशि विमुक्त नहीं किया गया है। भारत सरकार से केन्द्रांश मद में राशि विमुक्त होने पर उसी के अनुपात में राज्यांश सहित आवंटनादेश निर्गत किया जा सकेगा।

4. भारत सरकार के पत्रांक 16–6/2016 Fert use दिनांक 29.08.2016 के अनुसार इस योजनान्तर्गत आवर्ती व्यय के रूप में प्रति नमूना 300/– रु० का प्रावधान है। जिसके अनुसार मदवार व्यय का ब्यौरा निम्नवत है :–

क्र.सं.	कार्य मद	व्यय सीमा 26.8.2016 से प्रभावी
1	नमूनाकरण लागत	40.00
2	संविदा पर कार्यरत मानव बल के मानदेय एवं प्रशिक्षण	37.00
3	नमूना विश्लेषण रसायन एवं अन्यान्य	150.00
4	कार्ड प्रींटिंग प्रति नमूना	50.00
5	कार्ड वितरण प्रति नमूना	10.00
6	प्रत्यक्षण	5.00
7	जागरुकता/ मिशन मैनेजमेंट/ प्रचार प्रसार	4.00
8	जी0पी0एस0 यंत्र	4.00
	एक नमूना के विशलेषण पर कुल लागत	300.00

E:\ABHINAV\2017-18\SHC\sanlekh SHC 17-18 1963.17 lakh.docx

5. राज्य के सभी 38 जिलों के 534 प्रखंडों में सभी राजस्व ग्रामों के सभी किसानों को दो वर्षों में उनके सभी जोतों के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना है जिसमें वर्ष 2017–18 में 6 लाख 54 हजार 3 सौ 89 नमूने संग्रहित कर 36 लाख 18 हजार 1 सौ 16 स्वायल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराये जाएगें।

6. इसमें नमूना संग्रहण और प्रयोगशाला तक परिवहन के लिए कुल 40 रु०/नमूना, प्रयोगशाला में संविदा आधारित दो कर्मियों की सेवा के लिए मानव बल के मानदेय पर 36 रु० अथवा प्रति 10000 नमूना पर दो कर्मियों के लिए प्रति मानव बल रु 15000/माह एवं प्रशिक्षण मद में 01 रु०, विश्लेषण कार्य हेतु 150 रु० प्रति नमूना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड की छपाई 5 रु० प्रति कार्ड 10 कार्ड प्रति ग्रीड और वितरण पर 10 रु० प्रति नमूना, जागरूकता अभियान एवं प्रबंधन के लिए 4 रु०/नमूना, जी०पी०एस० उपकरण के लिए 4 रु०/ नमूना तथा 10 हेक्टेयर के ग्रीड में प्रत्यक्षण–सह–प्रशिक्षण हेतु 4500 रु०/हेक्टर 10 हेक्टर के लिए एवं प्रशिक्षण हेतु 5000 रु० कुल 50000 रु०/दस हजार नमूना (5 रु० प्रति नमूना) की दर से राशि प्रावधानित है। इसी मद से रेफरल नमूनों की जाँच हेतु व्यय भार वहन किया जायगा।

7. जिलावार स्वीकृत राशि का ब्यौरा अनुसूची–1 के रूप में संलग्न है। इसमें अनुसूचित जन जाति धटक का आवंटन मात्र वैसे जिलों में समानुपातिक रुप से किया जा रहा है जिन जिलों की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार दस हजार से अधिक है।

8. रेफरल नमूनों के जाँच के व्यय का प्रावधान नमूना जाँच हेतु निर्धारित मद से ही किया जा रहा है। जिससे राज्य में अधिसूचित अन्य दो रेफरल लैब डा० राजेन्द्र प्रसाद कृषि विश्वविधालय पूसा एवं बिहार कृषि विश्वविधालय सबौर को रेफरी नमूना की संख्या एवं माँग के अनुरुप राशि की निकासी संयुक्त निदेशक (रसायन), मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, बिहार, पटना द्वारा कोषागार से कर भुगतान की जायगी। इसी मद से साफ्टवेयर मेन्टेनेन्स का कार्य भी किया जायेगा।

9. आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय संबद्ध प्रयोगशालाओं के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित कोषागार से की जायगी।

10. भारत सरकार के पत्रांक 16–6/2016 Fert Use दिनांक 23.11.2016 द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड मद में उपलब्ध राशि के Inter Commponent Flexiblity की स्वीकृति है। प्रति नमूना व्यय की अधिकतम सीमा रु300/– रहेगी ।

11. योजना के कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वयन अनुदेश पत्रांक NMSA (को0)/18/ 2015/383 दिनांक 17 मई 2017 द्वारा निर्गत है।

12. योजना कार्यान्वयन की आवश्यकता के अनुसार प्रशासी विभाग द्वारा यथा आवश्यक निर्णय लिया जा सकता है।

13. वित्तीय वर्ष के दौरान योजना के उद्व्यय में वृद्धि होने की स्थिति में विभाग द्वारा भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य स्वीकृत्यादेश में सन्निहित दिशा निर्देशों के आलोक में बढ़ाया जा सकेगा।

14. बजट शीर्ष एवं बजट उपबंध निम्न प्रकार है, (राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
केन्द्रांश		
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म,उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 105–खाद तथा उर्वरक, माँग सं०–01,उप शीर्ष 0207–राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन, विपत्र कोड 01–2401001050207, विषय शीर्ष–0207.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन, पी०एफ०एम०एस० कोड–9142	2038.95	977.66
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म,उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग सं०–01, उप शीर्ष 0238–राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन, विपत्रकोड 01–2401007890238 विषय शीर्ष–0238.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन, पी०एफ०एम०एस० कोड–9142	393.05	188.46

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग सं०–01,उपशीर्ष 0258–राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन, विपत्र कोड–01–2401007960258, विषय शीर्ष–0258.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन, पी०एफ०एम०एस० कोड–9142	24.57	11.78
कुल	**2456.57**	**1177.90**
राज्यांश		
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 105–खाद तथा उर्वरक,माँग सं०–01, उप शीर्ष 0307–राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन, विपत्र कोड 01–2401001050307, विषय शीर्ष–0307.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन, पी०एफ०एम०एस० कोड–9142	1359.31	651.78
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग सं०–01, उपशीर्ष 0338–राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन, विपत्र कोड 01–2401007890338, विषय शीर्ष–0338.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन, पी०एफ०एम०एस० कोड–9142	262.03	125.64
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग सं०–01,उपशीर्ष 0358–राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन, विपत्र कोड–01–2401007960358, विषय शीर्ष–0358.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन, पी०एफ०एम०एस० कोड–9142	16.37	7.85
कुल :–	**1637.71**	**785.27**
सकल योगः–	**4094.28**	**1963.17**

15. वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में स्थायी वित्त समिति की स्वीकृति संचिका संख्या–पी0पी0एम0–23 / 2016 के पृ0सं0–181 / प0 पर दिनांक : 28.08.2017 को प्राप्त है।

16. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या– 7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

17. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–पी0पी0एम0–23 / 2016 के पृ0सं0–55 / टि0 पर दिनांकः 22.09.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

26.9.2017

(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–पी0पी0एम0–23 / 2016– 3859 / कृ0, पटना दिनांक–03-10-2017

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.9.2017

प्रधान सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–पी0पी0एम0–23 / 2016– 3859 / कृ0, पटना दिनांक–03-10 2017

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, आई0एन0एम0 डिवीजन, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली / योजना एवं विकास विभाग / मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.9.2017

प्रधान सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

E:\ABHINAV\2017-18\SHC\sanlekh SHC 17-18 1963.17 lakh.docx

ज्ञापांक–पी0पी0एम0–23 / 2016– 3859 / कृ0, पटना दिनांक– 03-10- 2017

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–पी0पी0एम0–23 / 2016– 3859 / कृ0, पटना दिनांक– 03-10-2017

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव / कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव / प्रधान सचिव, कृषि विभाग के आप्त सचिव / कृषि निदेशक / निदेशक, पी0पी0एम0 / सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) / सभी संयुक्त निदेशक (शष्य) / संयुक्त निदेशक (रसायन), मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, बिहार, पटना / सभी जिला कृषि पदाधिकारी / उप निदेशक (शष्य) प्रक्षेत्र, पूर्णिया / आरा / सभी सहायक निदेशक (रसायन), मिट्टी जाकृच प्रयोगशाला / प्रभारी बजट पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु / उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

E:\ABHINAV\2017-18\SHC\sanlekh SHC 17-18 1963.17 lakh.docx